बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

संकल्प

संख्या छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन)–04/2009......... पटना, दिनांक 2014

विषय : **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) की 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी ₹ 8000 (आठ हजार) प्रति छात्र–छात्रा एवं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण इन समुदाय की छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः ₹ 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये एवं ₹ 10000 (दस हजार) रुपये प्रोत्साहन राशि के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में।**

शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग (BC-II) की वर्ग 10वीं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को ₹ 10,000/– (दस हजार मात्र) की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 10वीं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ₹ 10,000/– (दस हजार मात्र) की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10वीं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ₹ 10,000/– (दस हजार मात्र) की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के 10वीं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ₹ 10,000/– (दस हजार मात्र) की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है।

2 राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत एवं बिहार स्तर पर महिलाओं की साक्षरता दर केवल 53.30 प्रतिशत है, इसकी तुलना में बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर मात्र 38.46 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 40.38 प्रतिशत है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के साक्षरता दर समानुपातिक रूप से कम है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) के आर्थिक रूप से विपन्न परिवार, विशेषरूप से इस कोटि की छात्राएँ अर्थाभाव में माध्यमिक शिक्षा के उपरांत आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाती है।

समाज के अन्य वर्गों के समान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की धारा में सम्मिलित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) छात्राओं को 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवं 12वीं कक्षा में

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण इन समुदाय की छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक रूप से मदद आवश्यक है।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) वर्ग के 10वीं के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी ₹ 8,000/– (आठ हजार) रुपये प्रति छात्र–छात्रा की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।

5. साथ ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) वर्ग के 12वीं के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को क्रमशः ₹ 15,000/– (पन्द्रह हजार) रुपये एवं ₹ 10,000/– (दस हजार) रुपये प्रति छात्रा की दर से उपलब्ध कराया जायेगा।.

6. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) की 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी ₹ 8000 (आठ हजार) प्रति छात्र–छात्रा एवं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण इन समुदाय की छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः ₹ 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये एवं ₹ 10000 (दस हजार) रुपये प्रोत्साहन राशि के निर्धारण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजकीय गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक 9/छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन) 04/2009........... पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

ह०/–
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 9/छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन)-04/2009........... पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 9/छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन)-04/2009 .... पटना, दिनांक 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संबंधित उप निदेशक, मा० शिक्षा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 9/छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन)-04/2009 650 पटना, दिनांक 6.11.2014

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/11/14
संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 9/छात्रवृत्ति (प्रोत्साहन)-04/2009 651

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक:

सुनील कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

सेवा में,

प्रधान सचिव,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति
प्रधान सचिव,
अल्पसंख्यक, कल्याण विभाग

पटना, दिनांक 06 नवम्बर, 2014

विषय : **15 अगस्त, 2014 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी घोषणा के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 15 अगस्त, 2014 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गयी घोषणा के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 638 दिनांक 21.10.2014 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों में संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम) की 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी ₹ 8000 (आठ हजार) प्रति छात्र-छात्रा एवं 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण इन समुदाय की छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः ₹ 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये एवं ₹ 10000 (दस हजार) रुपये प्रोत्साहन राशि के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों द्वारा योजनान्तर्गत राशि का व्यय बजटीय प्रावधान के तहत संगत शीर्ष से किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

6/11/14

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

निदेशक

10 NOV 2014

13 NOV 2014

संख्या 4495 10 NOV 2014 बिहार, पटना

5586 14 NOV 2014

1251
21/11/14

E/Hindi Letter14-15